

संख्या: १४३९/१-१०-२०१३-३३(१०३)/१३

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(अमेठी, शामली, हापुड़ एवं सम्भल जनपदों को छोड़कर)

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : ०४.९ अक्टूबर, २०१३

विषय : जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के व्ययों को वहन करने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के चालू वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के व्ययों को वहन करने हेतु अनुदान संख्या-५१ लेखाशीर्ष "२२४५-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-८०-सामान्य-८००-अन्य व्यय-०७-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-२०-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" में व्यवस्थित धनराशि के अन्तर्गत जनपदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि ₹० ७१,००,०००/- (रुपये इकहत्तर लाख मात्र) जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के निर्वर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	जनपद	आवंटित धनराशि (रु० में)
१	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण आगरा	१,००,०००/-
२	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अलीगढ़	१,००,०००/-
३	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण इलाहाबाद	१,००,०००/-
४	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अम्बेडकर नगर	१,००,०००/-
५	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण औरैया	१,००,०००/-
६	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण आजमगढ़	१,००,०००/-

7	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बदायूँ	1,00,000 /—
8	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बागपत	1,00,000 /—
9	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बहराइच	1,00,000 /—
10	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बलिया	1,00,000 /—
11	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बलरामपुर	1,00,000 /—
12	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बांदा	1,00,000 /—
13	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बाराबंकी	1,00,000 /—
14	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बरेली	1,00,000 /—
15	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बस्ती	1,00,000 /—
16	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बिजनौर	1,00,000 /—
17	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बुलन्दशहर	1,00,000 /—
18	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण चन्दौली	1,00,000 /—
19	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण चित्रकूट	1,00,000 /—
20	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण देवरिया	1,00,000 /—
21	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एटा	1,00,000 /—
22	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण इटावा	1,00,000 /—
23	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फैजाबाद	1,00,000 /—
24	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फर्रुखाबाद	1,00,000 /—
25	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फतेहपुर	1,00,000 /—
26	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण फिरोजाबाद	1,00,000 /—
27	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गौतमबुद्ध नगर	1,00,000 /—
28	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गाजियाबाद	1,00,000 /—
29	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गाजीपुर	1,00,000 /—
30	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोण्डा	1,00,000 /—
31	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गोरखपुर	1,00,000 /—
32	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हमीरपुर	1,00,000 /—
33	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हरदोई	1,00,000 /—
34	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण हाथरस	1,00,000 /—
35	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण जालौन	1,00,000 /—
36	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण जौनपुर	1,00,000 /—
37	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण झांसी	1,00,000 /—
38	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण अमरोहा	1,00,000 /—
39	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कन्नौज	1,00,000 /—
40	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कानपुर नगर	1,00,000 /—
41	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कासगंज	1,00,000 /—
42	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कौशाम्बी	1,00,000 /—
43	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कुशीनगर	1,00,000 /—

44	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखीमपुर खीरी	1,00,000 /—
45	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण ललितपुर	1,00,000 /—
46	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण लखनऊ	1,00,000 /—
47	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण महाराजगंज	1,00,000 /—
48	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण महोबा	1,00,000 /—
49	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मैनपुरी	1,00,000 /—
50	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मथुरा	1,00,000 /—
51	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मऊ	1,00,000 /—
52	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मेरठ	1,00,000 /—
53	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मीरजापुर	1,00,000 /—
54	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मुरादाबाद	1,00,000 /—
55	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मुजफ्फर नगर	1,00,000 /—
56	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण पीलीभीत	1,00,000 /—
57	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण प्रतापगढ़	1,00,000 /—
58	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण रायबरेली	1,00,000 /—
59	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कानपुर देहात	1,00,000 /—
60	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण रामपुर	1,00,000 /—
61	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सहारनपुर	1,00,000 /—
62	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण संत कबीर नगर	1,00,000 /—
63	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण संत रविदास नगर	1,00,000 /—
64	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण शाहजहाँपुर	1,00,000 /—
65	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण श्रावस्ती	1,00,000 /—
66	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सिद्धार्थ नगर	1,00,000 /—
67	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सीतापुर	1,00,000 /—
68	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सोनभद्र	1,00,000 /—
69	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण सुल्तानपुर	1,00,000 /—
70	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण उन्नाव	1,00,000 /—
71	जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण वाराणसी	1,00,000 /—
	योग	71,00,000 /—

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्ष "2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07-जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण द्वारा उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 के नियम 209 तथा चैप्टर-1 के संलग्नक-ए में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 4- उपरोक्त मदों में आवंटित धनराशि का व्यय जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के व्ययों यथा **Emergency Operation Center (EOC)** के सुचारु संचालन, प्राधिकरण के टेलीफोन, स्टेशनरी एवं अन्य उपयोगार्थ सामग्रियों आदि के व्ययों हेतु किया जायेगा।
- 5- व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित करारकर शासन को सूचित किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

भवदीय,
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या 2030 (1)/1-10-2013-33(103)/13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/ राजस्व अनुभाग-11/ राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा/से.
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।